9.8.19 पत्रावली पाने आदेश पश्चात अभिभाषक अपीलांट व श्री ए. उपस्थित। अपील मे निर्णय एकल न्यायालय मे सुनाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.17 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अपीलार्थी न्यायालय के निर्णय मे दिये गये ऑब्जर्वेशन के क्रम मे प्रतिपक्षियान पर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष बयान के साक्ष्य, सहूलियत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तथ्यपरक रोशनी डाल प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णीत करें। पत्रावली कैलाशकुमार रोवर तबदील से कम ली।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अजमेर